



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245571
CG-DL-E-02052023-245571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]
No. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 337(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 49(अ), तारीख 24 जनवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 जनवरी, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग में,-

(क) उपनियम (1) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि एआईएस-135 के उपबंध एआईएस-052 (आरईवी.1) में यथा विनिर्दिष्ट टाईप III बसों पर लागू होंगे, जिनका विनिर्माण 1 अक्टूबर, 2023 को और उसके पश्चात् किया गया है।”;

(ख) उपनियम (2) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु एआईएस-135 के अधिभोगी कक्ष में अग्निसुरक्षा के उपबंध एआईएस-063 में यथा विनिर्दिष्ट स्कूल बसों पर लागू होंगे, जिनका विनिर्माण 1 अक्टूबर, 2023 को और उसके पश्चात् किया गया है।”;

(ग) उपनियम (7) की सारणी 1 में क्रम संख्यांक 7क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7क	अधिभोगी कक्ष में अग्नि संचेतक और सुरक्षा प्रणाली	एम 3 प्रवर्ग की टाईप III बसें और स्कूल बसें	एआईएस-135	1 अक्टूबर, 2023”।

[फा. सं. आरटी-11016/37/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

G.S.R. 337(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 49(E), dated the 24th January, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th January, 2023;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 125C,-

(a) in sub-rule(1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that the provisions of AIS-135 shall be applicable to Type III buses, as specified in AIS-052(Rev.1), which are manufactured on and after the 1st October, 2023.”;

(b) in sub-rule(2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the provisions on fire protection in occupant compartment of AIS-135 shall be applicable to school buses, as specified in AIS-063, which are manufactured on and after the 1st October, 2023.”;

(c) in sub-rule (7), in Table 1, for serial number 7A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7A	Fire Alarm and Protection system in occupant compartment	Type III buses of category M3 and school buses	AIS-135	1 st October 2023.”.

[F. No. RT-11016/37/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 289(E), dated the 13th April, 2023.